स्मरण पत्र द्वितीय

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प. 3(1) विविध/न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 14.07.2017

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः—विभिन्न निर्णयो, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति इत्यादि की प्रतियां प्रेषित करने के स्थान पर उन्हें वेबसाईट पर इन्द्राज/अद्यतन करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.12.16 एवं 24.03.17 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के प्रभारी—अधिकारी के नियुक्ति आदेश, अवमानना प्रकरण, नोटिस (Notice to show cause) एवं निर्णयों की सूचनायों की प्रतियां (Hard copy) न्याय विभाग को प्रेषित की जा रही हैं जबकि इन्हे न्याय विभाग की वेबसाईट www.lites.law.rajasthan.gov.in पर संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा अपने स्तर पर ही On-line इन्द्राज/अद्यतन (Entry/updation) किया जाना है, इसके बावजूद उपरोक्त प्रतियां (Hard copy) न्याय विभाग को प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें कि भविष्य में उक्त सूचनाएँ न्याय विभाग को प्रेषित न की जाकर उन्हे न्याय विभाग की वेबसाईट पर इन्द्राज/अद्यतन करने का कार्य ही किया जाये।

भवदीय

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\3(1) Miscellaneous\Justice\2016